न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 16 / 2022 आरसीएमएस नम्बरः–2022 / 239

1. अनोखी देवी (अमरवती) पत्नि श्री रोशन जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. रामवती पुत्री रोशन पत्नि नित्यकिशोकर जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी मोती कटरा आगरा फोट आगरा (उ0प्र0)

———————— अपीलाण्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत मांगरौल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मांगरौल मनियां धौलपुर
2. तहसीलदार मनियां
3. गुड्डी पुत्री रोशन जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल, मनियां
4. मुन्नी पुत्री रोशन जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल, मनियां
5. शान्ति पुत्री रोशन जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल, मनियां
6. शीला पुत्री रोशन जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल, मनियां

———————————————— रेस्पोडेण्टस

अपील व विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1039 बांके ग्राम मांगरौल सरपंच ग्राम पंचायत मांगरौल, तहसील मनियां

उपस्थितिः– श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन एडवोकेट, अपीलान्ट की ओर से
श्री मोहन सिंह बघेल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3–6 की ओर से

दिनांक – 14.02.2025

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1145, 1464, 1147, 1462, 1148, 1463,1470, 1146, 1144, 1439, 1438 बांके ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां धौलपुर स्थित है। जिसमें अपीलान्ट 1/24 भाग की खातेदार काश्तकार है। एंव मौके पर काबित होकर फसल प्राप्त कर रहे है। अपीलार्थी संख्यार 1 का नाम अनोखीदेवी है व अपीलार्थी संख्यार 2 का नाम रामवती है। अपीलार्थी ने कृषिकार्ड बनवाने हेतु नकल प्राप्त की तब उसे जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम अपीलार्थी संख्यार 1 का नाम अनोखीदेवी की जगह कहीं अमरवती व कहीं अनोखीदेवी अंकित कर दिया है। अपीलार्थी संख्यार 2 का नाम रामवती है, उसकानाम राजस्व रिकॉर्ड में भल्लो अंकित कर दिया है। ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्टस संख्यार 1 व 2 ने अपीलार्थीगण के दस्तावेजों पर ध्यान नहीं देकर गांव के कुछ लोगों के कहने पर राजस्व रिकॉर्ड में नामा0 संख्यार 1039 पर अपीलार्थी संख्या 1 का नाम अनोखीदेवी की जगह कहीं अमरवती व कहीं अनोखी देवी अंकित कर दिया है। नामा0 की जानकारी अपीलान्ट को नकल दिनांक 29.07.2022 को लेने पर हुई। अपीलान्ट को नामा0 की कोई

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

जानकारी दिनांक 29.07.2022 से पहले नही हुई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 निरस्त कर अपीलार्थी संख्या 1 का नाम अमरवती की जगह अनोखीदेवी व अपीलार्थी संख्या 2 का नाम भल्लो की जगह रामवती दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 03 लगायत 6 की ओर से श्री मोहन सिंह बघेल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया। जवाब में उनके द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

अपीलार्थीया की ओर से अपील के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 159, 164, 163,166, 160, 162, 77, 78 वाके ग्राम बालगोविन्द का पुरा (मांगरौल), प्रमाणित प्रति नामा0सं0 1039 नकल जमाबंदी संवत् 2046 ग्राम मांगरौल पेश की।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए नामा0 संख्या 1039 दिनांक 04.06.1986 ग्राम बाल गोविन्द का पुरा पटवार हल्का मांगरौल को निरस्त किया जाकर पुनः सही नाम दर्ज कर नामान्तरण खोले जाने हेतु कथन किया। रेस्पो0 संख्यार 3 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक ने सहमति जाहिर की।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम पेश किया है। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति नामा0 संख्या 1039 के अवलोकन से लक्ष्मण व रोशन की विरासतन का नामा0 दर्ज किया गया है। जिसमें रोशन के बजाय मु0 अनोखी वेवा रोशन, मुन्नी, गुड्‌डी, भल्लो, शीला पुत्रयान रोशन के नाम नामा0 दर्ज किया है। अमरवती के नाम नामा0 दर्ज नही हुआ है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कहीं अनोखी व कहीं अमरवती कर दिया है। परन्तु अमरवती किस प्रकार दर्ज हुआ है इस संबध में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है। अपीलार्थी संख्यार 1 की हद तक अपीलान्ट का कथन सिद्ध नही होता है। अपीलार्थी संख्या 02 का नाम अपीलाधीन नामा0 में भल्लो दर्ज होने संबधी वकील अपीलान्ट का कथन उक्त नामा0 एंव संबधित दस्तावेजात के अवलोकन से सही है।

अतः अपील अपीलान्ट, अपीलार्थी संख्या 2 के संबध में कथनों की हद तक आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार ~~धौलपुर~~ मनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार ~~धौलपुर~~ मनिया मृतक रोशन के वारिसान के संबध में गहनता से मजमेआम में जांच करें। भल्लो पुत्री रोशन तथा रामवती पुत्री रोशन एक ही महिला होने की पूर्ण संतुष्टि होने पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 1039 ग्राम मांगरौल निरस्त किया जाकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)